कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर।

पत्रांकःआईजीआरएस-10/2025

दिनांकः अक्टूबर 11 ,2025

सेवा में,

लोक शिकायत अनुभाग-3
(मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय)
उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

कृपया आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त पी0जी0 पोर्टल (भारत सरकार) सन्दर्भ संख्याः 60000250222883 दिनांक 23-09-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो श्रीमती सुगना देवी पत्नी जिलाजीत निवासिनी नौगांव थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर के शिकायती प्रा0पत्र पर जाँच/कार्यवाही कराते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि श्रीमती सुगना देवी उपरोक्त के प्रार्थना पत्र की जाँच अपर पुलिस अधीक्षक नगर, जनपद मीरजापुर द्वारा करायी गयी। जाँच अधिकारी की आख्या की छायाप्रति संलग्न कर रिपोर्ट सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद मीरजापुर।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद मीरजापुर।

<u>आईजीआरएस/सीएम हेल्पलाइन सन्दर्भ संख्या:</u> 60000250222883 **दिनांक- 07.10.2025**

1.	**शिकायतकर्ता का नाम, पता व मो0नं0**	श्रीमती सुगना देवी पत्नी जिलाजीत निवासी नौगांव थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर मो0नं- 7518494920
2.	**विपक्षी का नाम पता व मो0नं0**	उमाशंकर पुत्र स्व० रामनाथ निषाद निवासी ग्राम नौगांव थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर आदि।
3.	**जाँच अधिकारी का नाम, पद व मो0नं0**	अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद मीरजापुर।
4.	**प्रकरण में FIR दर्ज है, तो FIR का पूर्ण विवरण**	विपक्षी उमाशंकर पुत्र स्व० रामनाथ निषाद निवासी ग्राम नौगांव थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 07.07.2025 को थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0सं0 225/25 धारा 137 (2)/352/351(3) बीएनएस बनाम 1. आजाद निषाद पुत्र श्यामधर निषाद 2. श्यामधर निषाद पुत्र वंशी निषाद 3. धावन निषाद पुत्र श्यामधर निषाद समस्त निवासीगण नौगांव थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया है।
5.	**विवाद की श्रेणी (जमीन/धरेलू/अपराधिक/अन्य विवाद)**	अन्य अपराधिक विवाद।
6.	**शिकायत / आरोप का संक्षिप्त विवरण**	विपक्षीगणों द्वारा आवेदिका की नाव तोड कर नदी में जाल सहित डुबा देना तथा मना करने पर उसके साथ अश्लिल हरकत करते हुए जान से मारने की धमकी आदि कतिपय आरोपों विषयक है।
7.	**आवेदक/शिकायतकर्ता का बयान**	आवेदिका द्वारा बताया गया कि विपक्षीगणों द्वारा उसकी नाव तोड कर नदी में जाल सहित डुबा दी गयी तथा मना करने पर उसके साथ अश्लिल हरकत करने लगे तथा पड़ोसी अभिराजी द्वारा आकर बचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये ।
8.	**विपक्षीगण के बयान**	विपक्षी द्वारा बताया गया कि उसकी पुत्री पूजा निषाद को आवेदिका का सगा भतीजा आजाद द्वारा अपने परिवार के सहयोग से भगा कर ले गया तथा उसके साथ गलत काम किया जिसपर उसके द्वारा थाना विन्ध्याचल पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिसमें आजाद गिरफ्तार है तथा दो अभी फरार है। सुगना देवी मुकदमें में दबाव बनाने के उद्देश्य से झूठा आरोप लगाकर मेरे विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराना चाहती है।
9.	**स्वतन्त्र साक्षी का बयान (नाम, पता, मो०नं०)**	निल।
10	**विवाद को लेकर पूर्व में अपराध हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो का पूर्ण विवरण जैसे FIR, NCR, 151/107/116CrPc अथवा170/126/135B.N.S.S आदि कार्यवाही**	निल।
11	**यदि प्रकरण भूमि विवाद से सम्बन्धित है तो मौके पर गयी संयुक्त टीम व राजस्व टीम का नाम व मोबाईल नम्बर व राजस्व कीआख्या सहित कृत कार्यवाही का परिणाम अंकित किया जाये**	निल।
12	**विवाद की दशा में धारा 107/116CrPc अथवा 126/135BNSS की कार्यवाही में कितनी धनराशि के मुचलकों से पाबन्द किया गया, धारा 117CrPc की पाबन्दी का आदेश संलग्न करे पूर्ण विवरण**	शान्ति-व्यवस्था के दृष्टिगत थाना विन्ध्याचल द्वारा दिनांकः- 06.10.2025 विपक्षी उमाशंकर का 170 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी है।
13	**विवाद को लेकर शरीर सम्बन्धी अपराध कारित हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो विवेचनात्मक कार्यवाही का विवरण**	निल।
14	**प्रकरण में क्या वादी या किसी पक्ष द्वारा UP-112 को सुचित किया गया है या नहीं।**	निल।
15	**प्रकरण में धारा 151CrPc अथवा 170B.N.S.S की कार्यवाही एक पक्षीय या द्विपक्षीय की गयी तथा आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी तिथि को प्रस्तुत किया गया।**	निल ।
16	**प्रकरण के सम्बन्ध में यदि मा० न्यायालय में कोई वाद प्रचलित है, तो मा०न्या० नाम/वादसंख्या/वाद की अद्यतन स्थिति पूर्ण विवरण।**	निल।
17	**जाँच अधिकारी के मौके पर जाने का दिनांक तथा गुगल शीट फोटो (अक्षांश देशान्तर सहित)...।**	
18	**प्रार्थना पत्र पहली बार दिया गया है या पूर्व में दिया जा चुका है यदि पूर्व में दिया गया है तो उसका तिथिबार विवरण तथा परिणाम।**	निल
19	**प्रकरण में यदि कोई समझौता हुआ है तो समझौते की प्रति संलग्न करे।**	निल
20	**धोखाधड़ी के मामलों में पैसे लेने का पूर्ण विवरण निल।**	निल
21	**जमीनी बैनामा धोखाधड़ी में तहसील रजिस्टर्ड कार्यालय से आख्या प्राप्त करके अपलोड करें।**	निल
22	**मोबाईल चोरी/गुम हो जाने के प्रकरण में सर्विलांश शाखा को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें**	निल

23	**पति-पत्नी सम्बन्धी घरेलू विवादों में सुलह समझौता मध्यस्थता केन्द्र को भेजी गयी रिपोर्ट की प्रति सलग्न कर पूर्ण विवरण अंकित करें।**	निल
24	जाँच आख्या / विवरण / सारांश -	सन्दर्भित शिकायती प्रार्थना पत्र की जांचक्रम में आवेदिका से जरिये दूरभाष सम्पर्क करने पर आवेदिका कार्यालय उपस्थित आयी तथा बयान किया कि विपक्षीगणों द्वारा उसकी नाव तोडकर नदी में जाल सहित डुबा दिया गया तथा उसके द्वारा मना करने पर विपक्षी उसके साथ अश्लिल हरकत करने लगे तथा उसकी पड़ोसी अभिराजी द्वारा आकर उसे बचाया तब विपक्ष जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। जांचक्रम में विपक्षी से सम्पर्क करने पर विपक्षी कार्यालय उपस्थित आया तथा बयान किया कि आवेदिका सुगना देवी का सगा भतीजा आजाद निषाद द्वारा अपने परिवार के सहयोग से उसकी पुत्री पूजा निषाद को भगा कर ले गया तथा उसके साथ गलत काम किया, जिसपर उसके द्वारा थाना विन्ध्याचल पर मुकदमा दर्ज कराया गया , उक्त मुकदमे में आजाद गिरफ्तार है तथा दो लोग अभी फरार है। सुगना देवी मुकदमें में दबाव बनाने के उद्देश्य से झूठा आरोप लगाकर मेरे विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराना चाहती है। सन्दर्भित प्रकरण के जांच क्रम में थाना विन्ध्याचल से जानाकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि आवेदिका व विपक्षी एक ही गांव के निवासी है तथा आवेदिका का भतीजा आजाद निषाद पुत्र- श्यामधर निषाद द्वारा विपक्षी उमाशंकर की लड़की पूजा निषाद को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया था जिसके सम्बन्ध में विपक्षी उमाशंकर पुत्र स्व० रामनाथ निषाद निवासी ग्राम नौगांव थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 07.07.2025 को थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0सं0 225/25 धारा 137 (2)/352/351(3) बीएनएस बनाम 1. आजाद निषाद पुत्र श्यामधर निषाद 2. श्यामधर निषाद पुत्र वंशी निषाद 3. धावन निषाद पुत्र वंशी निषाद समस्त निवासीगण नौगांव थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया । उक्त मुकदमे की विवेचना प्रभारी निरीक्षक विन्ध्याचल द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान विवेचक द्वारा विवेचना के क्रम में बयान वादी, बयान पीड़िता, अवलोकन बयान अन्तर्गत धारा 180/183 बीएनएसएस व साक्ष्यों के आधार पर धारा 64 बीएनएस, 5/6(j) व 16/17 पास्को एक्ट की बढ़ोत्तरी कर नामजद अभियुक्त आजाद निषाद पुत्र श्यामधर निषाद निवासी नौगांव थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर को दिनांक 08.07.2025 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, जिसमें अभियुक्त आजाद निषाद उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या ए- 250/2025 दिनांक 03.09.2025 को मा0 न्यायालय चालान किया गया है। शेष नामजद अभियुक्तगणों के विरुद्ध आंशिक विवेचना प्रचलित है। चूकि आवेदिका सुगना देवी का भतीजा अभियोग उपरोक्त में नामजद अभियुक्त है तथा वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है तथा उक्त अभियोग के सम्बन्धित 02 अभियुक्त फरार है। आवेदिका द्वारा अपने साथ घटित घटना का बीच-बचाव अभिराजी देवी द्वारा किया जाना बयान किया गया है। अभिराजी देवी, विपक्षी उमाशंकर द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे के अभियुक्त आजाद निषाद की मां तथा सह अभियुक्त श्यामधर निषाद की पत्नी है। आवेदिका द्वारा उक्त मुकदमें में दबाव बनाने के उद्देश्य से असत्य एवं मनगढ़ंत आरोप लगाकर उक्त प्रार्थना पत्र दिया गया। आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों की पुष्टि नही हो रही है। शान्ति-व्यवस्था के दृष्टिगत थाना विन्ध्याचल द्वारा दिनांक- 06.10.2025 को विपक्षी उमाशंकर निषाद का 170 बीएनएसएस की एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। विवेचक प्रभारी निरीक्षक विन्ध्याचल को निर्देशित किया गया है कि साक्ष्य संकलन एवं शेष विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अतिशीघ्र अभियोग का विधिक निस्तारण करना सुनिश्चित करें। आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

अपर पुलिस अधीक्षक नगर
मीरजापुर।

पत्र संख्या- एसटी-अ0पु0अ0नगर-आईजीआरएस /2025
दिनांक- अक्टूबर, ,2025